उत्तर प्रदेश शासन,

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग'2

संख्या-4/1365/22-2-14-25(94)/97टी0सी0-11

लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

क्रिमिनल जनहित याचिका संख्या' 2357/1997 बच्चे लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2014 के अनुपालन में प्रेदश के कारागारों तथा उनमें निरूद्ध बन्दियों से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विचार कर उनका समाधान एवं समयबद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है-

राज्य स्तरीय समिति

(1)	सचिव, गृह (कारागार)	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, न्याय द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(3)	सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(4)	सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(5)	सचिव, समाज कल्याण विभाग अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(6)	सचिव, प्राविधिक शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(7)	सचिव, व्यावसायिक शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(8)	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(9)	सचिव, बेसिक शिक्षा अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(10)	सचिव, राजस्व अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
(11)	सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
(12)	पुलिस महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामित महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी	सदस्य
(13)	महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,उ0प्र0	सदस्य
(14)	शासन/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें/सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित ख्याति प्राप्त एन0जी0ओ0/एडवोकेट /विशेषज्ञ जो कारागार सुधार, बन्दियों को विधिक सहायता प्रदान किये जाने तथा उनके पुनर्वास से सम्बन्धित हों	सदस्य

जिलास्तरीय समिति

(1)	जनपद-न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2)	जिला मजिस्टेट	सहअध्यक्ष

http://shasanadesh.up.nic.in/

(3)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(4)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(5)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय पुरूष महिला चिकित्सालय	सदस्य
(6)	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
(7)	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	सदस्य
(8)	जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(9)	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	सदस्य
(10)	परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
(11)	उपायुक्त स्वत: रोजगार	सदस्य
(12)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
(13)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
(14)	जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
(15)	जिला कृषि अधिकारी /जिला कृषि रक्षा अधिकारी	सदस्य
(16)	कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण	सदस्य
(17)	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	सदस्य
(18)	मुख्य पशु चिकिक्तसा अधिकारी	सदस्य
(19)	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	सदस्य
(20)	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
(21)	जिला समाज कल्याण अधिकारी/अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)	सदस्य
(22)	अग्रणी जिला प्रबन्धक (Lead District Manager)	सदस्य
(23)	वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागार	सदस्य सचिव
(24)	जनपद न्यायाधीश/जिला मजिस्टेट द्वारा नामित ख्यातिप्राप्त एन0जी0ओ0 /एडवोकेट/विशेषज्ञ	सदस्य

2- उपरोक्त राज्यस्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक छ माह में तथा जिलास्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी। उक्त समिति की समयान्तर्गत बैठक आयोजित कराने तथा कार्यवृत्त निर्गत किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित समिति के सदस्य सचिव का होगा। जिला स्तर की समिति कारागार की स्थिति में सुधार तथा वहां निरूद्ध बन्दियों के बहुमुखी कल्याण, स्वरोजगार, स्वास्थ्य तथा पुनर्वास हेतु अपेक्षित विभिन्न बिन्दुओ पर विचार करेगी तथा बन्दियों से सम्बन्धित उच्चस्तरीय बिन्दुओं के समाधान के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव औचित्य एवं संस्तुति सहित राज्यस्तरीय समिति के विचारार्थ संदर्भित करेगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या-4/1365(1)/22-2-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव/सचिव,गृह/न्याय/वित्त/महिला कल्याण एवं बाल विकास/समाज कलयाण/ प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य//बेसिक शिक्षा/राजस्व/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद /पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0/ सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/महानिरीक्षक, कारागार,उ0प्र0/ग्राम्य विकास आयुक्त, उ0प्र0/ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0/ निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0/निदेशक, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 /निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण/निदेशक उद्योग ,उ0प्र0/ निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0/निदेशक, महिला कल्याण,उ0प्र0/निदेशक,कृषि, उ0प्र0/निदेशक, मत्स्य,उ0प्र0/निदेशक, विकलांग कल्याण उ0प्र0/निदेशक पशुपालन,उ0प्र0/निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0/मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी एवं ग्रमोद्योग,उ0प्र0।

2- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिला मजिस्टेट/जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपदीय पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय पुरूष/ महिला चिकित्सालय/जिला विकास अधिकारी/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी /परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण/परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण /उपायुक्त, स्वत: रोजगार /महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जिला समाज कल्याण अधिकारी /अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण)/जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/अग्रणी जिला प्रबन्धक (Lead District Manager) /वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक केन्द्रीय /जिला कारागार।

आज्ञा से,

(राम कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

http://shasanadesh.up.nic.in/